जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
15/2015

मुन्तकिली प्रकरण सं0 15/2015 अनवानी श्री खण्डा सिंह पुत्र श्री ज्वाला सिंह जाति रायसिख साकिन सलेमपुरा तहसील अनूपगढ़ बनाम 1–उपजिलाधीश सादुलशहर 2–जगसीरसिंह पुत्र उगरसिंह जाति जटसिख साकिन अबोहरिया तहसील सादुलशहर 3–परमजीतसिंह पुत्र उगर सिंह 4–उगर सिंह पुत्र बदन सिंह

09.01.2017

प्रार्थी श्री खण्डा सिंह के अभिभाषक श्री ओ. पी. बतरा उपस्थित है। उनकी बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक श्री ओ. पी. बतरा का कथन था कि प्रार्थी के पिता ज्वालासिंह पुत्र नाजर सिंह को बतौर नोन कलेमेंट चक 8 बीजीएस तहसील सादुलशहर का मु0न0 43 की 6.325 व मु0न0 58 में 6.325 हे0 में से 25 बीघा रकबा अलाट है। प्रार्थी के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है जिसका वह वारिस है। प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रा0 पत्र पेश किया कि उपरोक्त रकबा का वारिसान के रूप में ईन्तकाल किया जावे। परन्तु अप्रार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया और कार्यवाही रोक दी गई।

उनका आगे कथन था कि गैरसायलान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राज0 भू राजस्व निष्क्रान्त कृषि भूमि आवंटन नियम 1963 के तहत प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दैनिक अखबार में नोटिस छाया किया कि इस संबंध में किसी को कोई ऐतराज हो तो दिनांक 30.03.15 पेश किया जा सकता है। प्रार्थी को अखबार के माध्यम से पता चला तो प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.0.3.15 को उपजिलाधीश सादुलशहर के समक्ष प्रा0 पत्र पेश कर एतराज पेश किया तो पीठासीन अधिकारी प्रार्थी को डांटने लगा और कहने लगा कि आपने जमीन बेच दी है। इसलिए मैं अप्रार्थी के नाम से इसकी खातेदारी दर्ज कर दूंगा तो प्रार्थी ने कहा कि आप सबूत लेकर ही निर्णय करोगें तो पीठासीन अधिकारी ने साफ कह दिया कि इस कोर्ट में सबूत की आवश्यकता नही है, मैं उनके नाम से खातेदारी दर्ज कर दूंगा और अब आपका कोई काम नही है।

उनका आगे कथन था कि पीठासीन अधिकारी सादुलशहर अप्रार्थीयान का खास है और उनसे मिला हुआ है इसलिए प्रार्थी को वहां से इन्साफ नही मिलेगा। इसलिए उक्त मुकदमा को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह मामला अभी एडमिशन की स्टेज पर चल रहा है। प्रार्थी द्वारा जिस पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाये है कि वह दूसरी पार्टी से मिला हुआ है और उसे इनसे निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा। चूंकि अब तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो चुका है और नये पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो चुका है और इसी आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज करने योग्य है।

157
18-1-17

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 09.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर